पत्रांक– 06/वि० 09–42/2021–351

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 12/02/2026

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I में कुल नामांकित एवं वर्ग II-VIII के छात्र–छात्राओं को विगत वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत राशि 1,45,08,10,700/– (एक अरब पैंतालीस करोड़ आठ लाख दस हजार सात सौ रूपये) मात्र के अतिरिक्त कुल 27,10,00,000/– (सत्ताईस करोड़ दस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :– स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 25 दिनांक 07.05.2025 एवं उक्त स्वीकृत्यादेश की शुद्धि पत्र का पत्रांक 34 दिनांक 19.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I में कुल नामांकित एवं वर्ग II-VIII के छात्र–छात्राओं को विगत वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु **"मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना"** के अन्तर्गत कुल 1,45,08,10,700/– (एक अरब पैंतालीस करोड़ आठ लाख दस हजार सात सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत प्राप्त ऑकड़े के आलोक में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। तदालोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त स्वीकृत राशि के अतिरिक्त राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक विद्यालय सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग I में कुल नामांकित एवं वर्ग II-VIII के छात्र–छात्राओं को विगत वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु **"मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं "मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना"** के अन्तर्गत कुल 27,10,00,000/– (सत्ताईस करोड़ दस लाख रूपये)मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक योजनान्तर्गत कक्षा 1 एवं 2 के छात्राओं के लिए 600/–की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 700/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 1000/–की दर से राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत पोशाक मद में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्राओं के लिए 600/–की दर से प्रावधान किया गया है।

अतः मुख्यमंत्री पोशाक/बालिका पोशाक योजनान्तर्गत राज्य मद से सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 100/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 400/– की दर से राशि दिया जाना है तथा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के छात्राओं के लिए 600/–की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्राओं के लिए 700/–की दर से एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं के लिए 1000/–की दर से राशि दिया जाना है।

3. मुख्यमंत्री पोशाक योजनान्तर्गत कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों को 400/– की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्रों को 500/– की दर से, कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 700/– की दर से राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत पोशाक मद में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के एस० सी० (SC), एस० टी० (ST) एवं बी०पी०एल (BPL) छात्रों के लिए 600/–की दर से प्रावधान किया गया है।

अतः इस योजनान्तर्गत राज्य मद से सरकारी प्रारंभिक विद्यालय यथा राजकीय एवं राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 एवं 2 के APL छात्रों को 400/–की दर से, कक्षा 3 से 5 के APL छात्रों को 500/– रूपये की दर से, कक्षा 6 से 8 के APL छात्रों को 700/– रूपये की दर से एवं कक्षा 6–8 के SC/ST/BPL छात्रों को टॉप अप राशि 100/– रूपये की दर से राशि दिया जाना है तथा राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों को 400/– की दर से, कक्षा 3 से 5 के छात्रों को 500/– की दर से, कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 700/– की दर से राशि दिया जाना है।

4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना/मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना हेतु तीन शीर्ष में कुल 1,50,00,00,000/– (एक अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र का बजट उपबंध एवं प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल 58,00,00,000/– (अंठावन करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल 2,08,00,00,000/– (दो अरब आठ करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है।

वर्तमान में विमुक्त की जानेवाली राशि 27,10,00,000/– (सत्ताईस करोड़ दस लाख रूपये) मात्र के व्यय का विकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

i. **मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना (एस.सी/एस.टी./बी.पी.एल) कक्षा 01 से 08 तक** के छात्रों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त अद्यतन 3,80,00,000/– (तीन करोड़ अस्सी लाख रूपये) की आवश्यकता है। वर्णित राशि की निकासी निम्न कंडिका में प्रावधानित राशि से करते हुए अधिकृत बैंक ICICI

BANK LTD. KHAGAUL, PATNA के खाता संख्या 747901000075 IFSC CODE – ICIC 0007479 में राशि का अंतरण अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या– 21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–789–**अनुसूचित जातियों के लिए** विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0102–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष–0102.34.02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202017890102 में कुल राशि 20,00,00,000/– (बीस करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है। इस मद में वर्तमान में 10,00,00,000/– (दस करोड़ रूपये) का व्यय हो चुका है एवं 10,00,00,000/– (दस करोड़ रूपये) का व्यय होना अवशेष है। उक्त स्वीकृत राशि 3,80,00,000/– (तीन करोड़ अस्सी लाख रूपये) का विकलन उक्त मद के अवशेष राशि से किया जायेगा।

ii. **मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना (ए.पी.एल) कक्षा 01 से 08 तक** के छात्रों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त अद्यतन 18,00,00,000/– (अठारह करोड़ रूपये) की आवश्यकता है। वर्णित राशि की निकासी निम्न कंडिका (ख) में प्रावधानित राशि से करते हुए अधिकृत बैंक ICICI BANK LTD. PHULWARI SHARIF, PATNA के खाता संख्या 401201000553 IFSC CODE – ICIC0004012 में राशि का अंतरण अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियाँ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0101–मुख्यमंत्री पोशाक योजना, विषय शीर्ष– 0101–34–02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202011090101 में कुल राशि 58,00,00000/–(अंठावन करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है। इस मद में वर्तमान में 40,00,00,000/– (चालीस करोड़ रूपये) का व्यय हो चुका है एवं 18,00,00,000/– (अठारह करोड़ रूपये) का व्यय होना अवशेष है। उक्त स्वीकृत राशि 18,00,00,000/– (अठारह करोड़ रूपये) का विकलन उक्त मद के अवशेष राशि से किया जायेगा।

iii. **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (सभी कोटि की छात्रा) कक्षा 01 से 08 तक** के छात्राओं के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त अद्यतन 5,30,00,000/– (पॉच करोड़ तीस लाख रूपये) की आवश्यकता है। वर्णित राशि की निकासी निम्न कंडिका (ग) में प्रावधानित राशि से करते हुए अधिकृत बैंक ICICI BANK LTD. DIGHA. PATNA के खाता संख्या 248501000499 IFSC CODE –ICIC0002485 में राशि का अंतरण अंतरण जमा द्वारा किया जायेगा।

मांग संख्या– 21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारम्भिक शिक्षा, लघु शीर्ष–109–छात्रवृतियॉ तथा प्रोत्साहन, उप शीर्ष–0102–**मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना**, विषय शीर्ष–0102–34–02–प्रोत्साहन, विपत्र कोड– 21–2202011090102 के अंतर्गत कुल 1,30,0000000/– (एक अरब तीस करोड़ रूपये) मात्र का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

इस मद में वर्तमान में 95,08,10,700/– (पंचानवे करोड़ आठ लाख दस हजार सात सौ रूपये) का व्यय हो चुका है एवं 34,91,89,300/– (चौतीस करोड़ इक्यानवे लाख नवासी हजार तीन सौ रूपये) का व्यय होना अवशेष है। उक्त स्वीकृत राशि 5,30,00,000/– (पॉच करोड़ तीस लाख रूपये) का विकलन उक्त मद के अवशेष राशि से किया जायेगा।

5. शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नामांकित छात्र/छात्राओं एवं तदालोक में दर के अनुसार कुल विमुक्त की जानेवाली राशि 27,10,00,000/– (सत्ताईस करोड़ दस लाख रूपये) मात्र का आवंटन उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग को निर्गत किया जायेगा।

6. उक्त योजना के लिए स्वीकृत राशि की निकासी CFMS के तहत अवर सचिव –सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा BTC–FORM-43 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत कोटिवार छात्र/छात्राओं की संख्या एवं दर के अनुरूप संबंधित राशि की निकासी कर ICICI बैंक के अधिकृत बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित राशि NIC से प्राप्त पात्र लाभुकों की सत्यापित सूची के आधार पर निदेशक (प्रा०शि०) की सहमति से पात्र लाभुकों के बैंक खाते में राशि का अंतरण डी०बी०टी० के माध्यम से किया जायेगा।

वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4792 दिनांक 04.08.2021 में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में पार्क नहीं किया जाएगा।

7. अवितरित राशि, यदि हो तो अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित किया जायगा।

8. स्वीकृत राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा अंतर्गत अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय में विधिवत् समर्पित किया जायेगा।

9. योजना का अनुश्रवण विद्यालय स्तर पर विद्यालय शिक्षा समिति तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा एवं प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी होगी। राज्य स्तर पर यह कार्य निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना द्वारा किया जाएगा।

10 उक्त राशि के व्यय की स्वीकृत्ति वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888, दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में प्रदान की जाती है। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन अन्य किसी मद में नहीं किया जाएगा।

11. वित्त विभाग के स्थायी आदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प, परिपत्रों/अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय की जायेगी।

12. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13. वित्त विभाग के पत्रांक–7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/वि० 09–42/2021 के नोट 110 /टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–06/वि० 09–42/2021........................ पटना, दिनांक–......................./2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० परीक्षा) बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 06/वि० 09–42/2021– 351 पटना, दिनांक– 12/02/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग/उप निदेशक (प्रशासन) शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, योजना, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/शाखा प्रबंधक, ICICI Bank Limited zonal office, Plot no 6B, सहदेव महतो मार्ग, पटना–01/CFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, DBT कोषांग, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/I.T. Manager,शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.2.26

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।